77/2012 मूलाराम : दीपचन्द

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22-6-18	बार-बार आवाज दिलाई गई अपीलांट एवं अपीलांट के वकील कोई [illegible] नहीं आये। अतः अदम [illegible] अदम पैरवी साबित होने से अपील खारिज की जाती है। तामील बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] गया।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official